




<p>तारीक हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>17.06.19</p>	<p>अधिवक्ता प्रार्थी श्री रवि प्रकाश शर्मा उपस्थित। प्रार्थना पत्र स्थगन पर बहस चाहते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। न्याय हित में उप तहसीलदार बैजूपाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा का आदेश दिनांक 14.09.2018 की क्रियान्विति आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.06.2019 तक स्थगित की जाती है। कोई उज्र हो, तो नियत दिनांक को हाजिर अदालत होकर पेश करें। आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी किया गया। तहरीर जारी होकर नियत दिनांक 26.06.2019 को मूल अभिलेख के साथ पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       जिला कलेक्टर                      दौसा                 </p>	<p>तहरीर जारी 10/5 15-06-19</p>
<p>26<sup>6</sup>/<sub>19</sub></p>	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। मूल पत्रावली के साथ नियत दिनांक 14-8-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       जिला कलेक्टर                      दौसा                 </p>	<p>उप तहसीलदार के पत्रावली 118 दिनांक 08-07-19 हाजिर। मुहर।</p>
<p>14-8-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई बार-बार आवाज लगावने के उपरान्त भी प्रार्थी अपना अधिवक्ता प्रार्थी में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में विचारार्थीन स्वयं प्रार्थी पत्र से संबंधित मूल कोपील अदम हाजरी एवं अदम पेशी में खारिज की जा चुकी है इसलिये स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाना औचित्य नहीं है। अतः विचारार्थीन स्वयं प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दोसर नम्बर से कम हो एवं सेलगन मूल कोपील पत्रावली की जाये। निवेदन आज दिनांक 14-8-19 को मेरे डायरी के न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">                       जिला कलेक्टर                      दौसा                 </p>	<p></p>

